NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Jagran, Panipat, 06/11/2025

Page No: 5, Size: 19.10cm × 16.09cm

एमडीयू में महिलाओं से बदसलूकी मामला : पीड़िताओं के दर्ज हो चुके हैं बयान

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कुलपति-एसपी को किया नोटिस जारी, दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

- एमडीयू में महिलाओं के कपड़े उतरवाने और उनकी माहवारी की पुष्टि करने के लिए फोटो करने का मामला
- महिला अधिकार कार्यकर्ता प्रिया असीजा ने लिखा था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पत्र

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय

एमडीयू की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। एमडीयू के संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के आचरण की तत्काल निष्पक्ष जांच की जाए। साथ ही मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा प्रभावित महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षा और गैर-प्रतिशोध की गारंटी दी जाए। सभी शैक्षणिक संस्थानों और नगर निकायों को महिलाओं की गोपनीयता और गरिमा का सम्मान करने वाले सम्मानजनक मासिक धर्म अवकाश दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार करने और उन्हें लागू करने के निर्देश जारी करें।

– **प्रिया असीजा**, महिला अधिकार कार्यकर्ता।

जागरण संवाददाता • रोहतक : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में महिलाओं के कपड़े उतरवाने और उनकी माहवारी की पुष्टि करने के लिए फोटो करने जैसे आरोपों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में विवि प्रशासन की ओर से दो कर्मचारियों को निलंबित करने के साथ ही तीन पर पुलिस केस भी दर्ज करवा दिया गया और महिला कर्मचारियों के मजिस्ट्रेट बयान भी दर्ज करवाए गए। अब महिला अधिकार कार्यकर्ता प्रिया असीजा के लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एसपी और एमडीयू कुलपति को नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस के अनुसार दो सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा एमडीयू की ओर से हरियाणा राज्य महिला आयोग को भेजी गई शुरुआती जांच रिपोर्ट पर भी छात्र नेताओं ने आपत्ति दर्ज करवाई है।

प्रिया असीजा ने पिछले दिनों महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हुई इस घटना के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस घटना में एक महिला सफाई कर्मचारी को छुट्टी पाने के लिए कथित तौर पर अपने कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया, ताकि वह अपनी माहवारी की पुष्टि कर सके। भिवानी की शिकायतकर्ता प्रिया असीजा ने कहा कि इस कृत्य से महिलाओं की गरिमा, निजता और अनुच्छेद 14 व 21, पाक्सो अधिनियम और मानवाधिकार अधिनियम के तहत मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में आयोग से तत्काल हस्तक्षेप करने, जांच, जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करने, पीड़ितों की सुरक्षा और सम्मानजनक मासिक धर्म अवकाश सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।

Dainik Jagran, Delhi, 06/11/2025
Page No: 11, Size: 5.08cm × 9.15cm

एमडीयू के कुलपति व एसपी को नोटिस

रोहतक : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) में महिलाओं के कपड़े उतरवाने और माहवारी की पुष्टि के लिए फोटो करने के मामले में महिला अधिकार कार्यकर्ता प्रिया असीजा के लिखे पत्र पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए एसपी व एमडीयू कुलपति को नोटिस जारी किया है। सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा राज्य महिला आयोग को भेजी रिपोर्ट पर छात्र नेताओं ने आपत्ति दर्ज करवाई है। (जासं)

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Times of India, Bengaluru, 06/11/2025

Page No: 6, Size: 20.96cm × 33.02cm

Pay NHRC-ordered relief to victims of Op Veerappan, HC tells TN

Sureshkumar.k@timesofindia.com

Chennai: Madras High Court (HC) came down heavily on Tamil Nadu govt Tuesday for delaying the release of Rs 2.6 crore pending compensation, payable to people affected during the hunt for forest brigand Veerappan, and warned of initiating contempt proceedings in case of further postponement of payment.

The first bench of Chief Justice Manindra Mohan Shrivastava and Justice G Arul Murugan passed the order on an appeal moved by TN govt challenging a National Human Rights Commission (NHRC) directive instructing payment of Rs 5 crore compensation to the affected people.

During the joint TN-Karnataka Special Task Force (STF) operation to capture sandalwood smuggler Veerappan, several complaints were filed before NHRC, alleging that women in hill villages were sexually assaulted and men were tortured under the guise of interrogation by STF.

Allowing the complaints, NHRC directed TN govt to pay Rs 5 crore compensation to the victims. Following this order, govt disbursed Rs 1.2 crore to 38 victims. When NHRC instructed the state to release the remaining Rs 3.8 crore, TN govt moved the present appeal challenging the order.

₹2.6 CR PENDING COMPENSATION

During the hearing, the state submitted that in addition to the amount already released, Rs 1.2 crore had been released in a second phase. It further submitted that basic infrastructural facilities worth Rs 8 crore were created in the affected areas.

Refusing to accept the explanation for non-payment of the remaining compensation despite the order being issued a year ago, HC observed that the establishment of infrastructure is govt's duty and cannot be treated as compensation. The court then directed the chief secretary to instruct the district collectors of Salem and Erode to immediately release the pending Rs 2.6 crore (out of the total Rs 5 crore) compensation and file a compliance report by Dec 4.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Bhaskar, Rohtak, 06/11/2025

Page No: 4, Size: 6.54cm × 10.69cm

एमडीयू में महिला से अभद्रता का मामला

आयोग ने वाइस चांसलर से 2 हफ्ते में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

रोहतक | एमडीयू में महिला सफाई कर्मचारी के कपड़े उतरवाकर अभद्र व्यवहार करने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एमडीयू के वाइस चांसलर प्रो. राजबीर सिंह व एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया को नोटिस भेजा है। मामले में दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। भिवानी की सोशल वर्कर प्रिया असीजा ने शनिवार को आयोग से शिकायत की थी।

असीजा ने मामले की निष्पक्ष जांच के साथ महिला की सुरक्षा पुख्ता करने पर भी जोर दिया। साथ ही पीरियड के दिनों में महिला को छुट्टी देना निश्चित करने की मांग उठाई। ताकि महिलाओं को इन दिनों में राहत मिल सके। आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने एमडीयू के वाइस चांसलर और रोहतक एसपी को नोटिस भेजा है। इसमें दो सप्ताह के भीतर मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। असीजा ने कहा कि महिला के साथ इस मामले का पता चलने के बाद कार्रवाई धीमी होने की भी जानकारी मिली। इसके बाद आयोग से शिकायत की। इसमें आयोग की तरफ से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। क्योंकि यह घटना बेहद निंदनीय है। अब इस मामले आयोग की तरफ से जल्द संज्ञान लेना भी सराहनीय है।

Amar Ujala

Bhiwani News: महिला सफाई कर्मचारी को छुट्टी के लिए मासिक धर्म साबित करने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने दिया नोटिस

https://www.amarujala.com/haryana/bhiwani/human-rights-commission-issues-notice-to-female-sanitation-worker-for-proving-menstruation-for-leave-bhiwani-news-c-125-1-shsr1009-142101-2025-11-06

संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Thu, 06 Nov 2025 01:19 AM IST

भिवानी। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) में एक महिला सफाई कर्मचारी को छुट्टी के लिए मासिक धर्म साबित करने के लिए अंतर्वस्त्र उतारने को मजबूर किए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। भिवानी के सेक्टर-13 निवासी महिला अधिकार कार्यकर्ता प्रिया असीजा द्वारा दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने एमडीयू के कुलपति और रोहतक के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट तलब की है।

प्रिया असीजा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए इस चौंकाने वाली घटना की जानकारी दी थी। शिकायत में बताया कि एमडीयू में कार्यरत एक महिला सफाई कर्मचारी को छुट्टी के लिए मासिक धर्म साबित करने के लिए अंतर्वस्त्र उतारने को मजबूर किया गया। यह कृत्य महिलाओं की गरिमा, निजता और समानता के अधिकार का घोर उल्लंघन है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21, पीओएसएच अधिनियम तथा मानवाधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। प्रिया असीजा ने आयोग से मांग की कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और सम्मानजनक मासिक धर्म अवकाश नीति को लेकर राष्ट्रव्यापी दिशानिर्देश जारी किए जाएं ताकि भविष्य में किसी भी महिला को ऐसी अपमानजनक स्थिति का सामना न करना पड़े। शिकायत में लगाए गए आरोपों पर आयोग ने प्रथम दृष्टया पीड़िता के मानवाधिकारों का उल्लंघन माना है।

मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी। आयोग ने नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। किसी भी महिला के साथ भविष्य में ऐसी शर्मनाक घटना न हो यह सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है। यह मुद्दा महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा है।
- प्रिया असीजा, महिला अधिकार कार्यकर्ता

DYNAMITE NEWS, Online, 6.11.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Dynamite News

Amazon कर रहा नियमों का उल्लंघन, महराजगंज से उठी बड़ी मांग, जानें पूरा मामला

महराजगंज के अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री को लेकर अभियान शुरू किया। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और साइबर क्राइम विभाग को पत्र भेजकर जांच और कार्रवाई की मांग की।

https://hindi.dynamitenews.com/uttar-pradesh/advocate-vinay-pandeys-massive-campaign-against-banned-knives-being-sold-online

Post Published By: डा इना मा इट न्यूज़ ब्यूरो , महरा जगंज Updated : 5 November 2025, 2:01 PM IST

Maharajganj: महराजगंज से एक गंभीर सूचना सामने आई है, जिसमें स्थानीय अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता विनय कुमार पांडेय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। पांडेय का कहना है कि कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, विशेष रूप से Amazon India, आर्म्स एक्ट, 1959 का उल्लंघन कर रहे हैं। इस दौरान खुलेआम प्रतिबंधित चाकू बेचे जा रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन होने के साथ साइबर अपराध की श्रेणी में भी आता है।

कानूनी कार्रवाई की मांग

अधिवक्ता पांडेय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और साइबर अपराध विभाग को पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने मांग की कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जांच की जाए और दोषी कंपनियों व विक्रेताओं पर कड़ी विधिक कार्रवाई की जाए।

बॉर्डर लॉयर्स संगठन का जन-जागरूकता अभियान

इस अभियान का संचालन बॉर्डर लॉयर्स संगठन के सहयोग से किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह जानकारी देना है कि कुछ प्रकार के चाकू और धारदार हथियारों की बिक्री और खरीद कानूनन अपराध है। अधिवक्ता पांडेय ने कहा, “जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है ताकि ऐसे हथियारों का अवैध व्यापार रोका जा सके और समाज में शांति बनी रहे।”

नागरिकों से अपील

पांडेय ने नागरिकों से आग्रह किया कि यदि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित चाकू या धारदार हथियार दिखें, तो तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम सेल को सूचित करें। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य अपराध-मुक्त और सुरक्षित समाज का निर्माण है। जब नागरिक स्वयं जागरूक होंगे, तभी कानून व्यवस्था मजबूत होगी।” इस अभियान के तहत लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर अपराध की जानकारी और कानूनी जागरूकता के प्रति प्रशिक्षित किया जाएगा।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भूमिका पर सवाल

विशेषज्ञों का कहना है कि कई बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंधित हथियारों की उपलब्धता चिंता का विषय है। यदि इन प्लेटफॉर्म्स पर पर्याप्त निगरानी और नियंत्रण नहीं किया गया, तो यह न केवल कानून तोड़ने वालों को बढ़ावा देता है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी खतरे में डालता है।

Hans India

Notice to govt over `bribes' taken from dead woman's father

https://www.thehansindia.com/karnataka/notice-to-govt-over-bribes-taken-from-dead-womans-father-1020634

The Hans India Hans News Service | 5 Nov 2025 9:24 AM IST

HIGHLIGHTS New Delhi: The NHRC has sought a report within two weeks from the Karnataka government and state police chief over the alleged collection of bribes...

New Delhi: The NHRC has sought a report within two weeks from the Karnataka government and state police chief over the alleged collection of bribes from a grieving 64-year-old father of a woman who died after a brain haemorrhage, an official said on Tuesday. The alleged harassment of the man started after the death of his daughter, an IIT Madras and IIM Ahmedabad graduate working in Bengaluru, who suffered a brain haemorrhage on September 18. The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report that, while mourning the death of his only daughter, the elderly man was made to pay bribes at every step, including an ambulance driver, police, crematorium staff and civic officials in Bengaluru.

According to the media report, carried on October 30, what should have been a solemn farewell turned into a nightmare of corruption, bureaucracy and inhumanity. The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of human rights. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Karnataka, calling for a detailed report on the matter within two weeks. When the father called an ambulance after the death of his daughter, the ambulance driver apparently overcharged for the services. When he reported his daughter's death to the police, they not only displayed a lack of empathy but also gave copies of the FIR and post-mortem report only after a bribe was paid. According to the media report, the deceased's family donated the girl's eyes before cremation.

Money was again demanded at the crematorium, which the father paid. There was also a considerable delay in issuing a death certificate from the Mahadevapura Municipal authorities. Despite intervention by a senior officer, the certificate was issued only after the father paid a bribe. Earlier, the NHRC asked 19 state governments and 4 UT Administrations to take pre-emptive steps and implement relief measures for vulnerable people ahead of the upcoming winter season.

The Commission directed the State and UT governments to protect newborns, children, infants, poor, elderly, homeless, destitutes and people involved in beggary, who are at risk of exposure to cold waves due to lack of shelter and resources, said a statement.

News18 Hindi

बच्चों को स्कूल भेजो ताकि... महात्मा गांधी के सरनेम पर हंगामा, NHRC के प्रियंक कानूनगो ने अबू आजमी पर कसा तंज

https://hindi.news18.com/news/nation/everyone-knows-about-mahatma-gandhi-surname-nhrc-priyank-kanungo-attack-abu-azmi-9819880.html

Edited by: Rakesh Ranjan Kumar

Agency:आईएएनएस

Last Updated:November 05, 2025, 18:43 IST

अबू आजमी ने कहा मदरसों ने महात्मा गांधी को 'गांधीजी' की उपाधि दी थी, प्रियंक कानूनगो ने इसका विरोध किया. हिमंत बिस्वा सरमा ने मदरसों को बंद करने की बात कही.

नई दिल्ली. महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के मदरसों के लोगों ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को ‘गांधीजी’ की उपाधि दी थी. इस बयान पर सियासत गर्मा गई है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि यह तो सबको पता है कि उन्हें पिता से ‘गांधी’ सरनेम मिला है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “गांधीजी के पिता का नाम करमचंद गांधी था. पिता से पुत्र को ‘गांधी’ सरनेम मिला. ये तो स्कूल में पांचवी क्लास के बच्चे को भी पढ़ाया जाता है. यह बात सबको पता है. इसीलिए बच्चों को स्कूल भेजो, ताकि बड़े होकर अबू आजमी जैसी बातें न करें. वैसे याद रहे, खिलाफत मूवमेंट का असली मकसद था तुर्की के इस्लामिक खलीफे का साम्राज्य बचाना.”

महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा था कि मदरसों के लोगों ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को ‘गांधी जी’ की उपाधि दी थी. जब गांधी जी बंबई आए, तो मदरसों के लोगों ने खिलाफत भवन में उनका स्वागत किया और स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग के लिए जो भी धन उनके पास था, वह दान कर दिया. मदरसा समुदाय ने हमेशा इस देश से प्यार किया है. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, हजारों मदरसा विद्वानों ने देश के लिए शहादत दी थी.

उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग केवल नफरत की राजनीति करते हैं. इसके अलावा इन लोगों को कुछ नहीं आता है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पिछले दिनों एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार ही नहीं, पूरे देश में मदरसे बंद होने चाहिए. हम लोगों को आर्मी चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए. हम चाहते हैं कि मुसलमान डॉक्टर और इंजीनियर बनें. हम लोगों को किसी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

ZEE NEWS, Online, 6.11.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Zee news

मदरसों पर बयान देकर हिमंता शर्मा ने लगाई आग; बुझाने में उलझ गए अबू आजमी और कानूनगो!

Mahatma Gandhi Surname Row: हिमंता बिस्वा सरमा का मदरसों को लेकर दिया गया विवादित बयान तूल पकड़ता जा रहा है. वहीं, अब सरमा के बयान पर पलटवार करते हुए अबू आजमी के जरिये महात्मा गांधी के 'गांधी' सरनेम को मदरसों से जोड़कर पेश करने पर नई बहस छिड़ गई है. NHRC के सदस्य ने 'गांधी' सरनेम को मदरसों से जोड़ने पर भड़क गए.

https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam/muslim-news/nhrc-member-bjp-leader-priyank-kanoongo-reacts-to-maharashtra-sp-chief-abu-asim-azmi-gandhiji-madrasa-remark/2990221

Written By Salaam Tv Digital Team | Last Updated: Nov 05, 2025, 08:51 PM IST

Maharashtra News Today: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है. उनके बयान ने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. दरअसल, अबू आजमी ने दावा किया है कि "मदरसों के लोगों ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को 'गांधीजी' की उपाधि दी थी." उनके इस बयान पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा कि, "गांधीजी के पिता का नाम करमचंद गांधी था. पिता से पुत्र को 'गांधी' सरनेम मिला. ये तो स्कूल में पांचवीं क्लास के बच्चे को भी पढ़ाया जाता है. यह बात सबको पता है. इसलिए बच्चों को स्कूल भेजो, ताकि बड़े होकर अबू आजमी जैसी बातें न करें."

कानूनगो ने आगे लिखा कि, "याद रहे, खिलाफत मूवमेंट का असली मकसद था तुर्की के इस्लामिक खलीफे का साम्राज्य बचाना." उन्होंने अबू आजमी के बयान को ऐतिहासिक तथ्यों से परे बताया और कहा कि इतिहास को इस तरह से तोड़-मरोड़कर पेश नहीं किया जाना चाहिए.

दरअसल, अबू आजमी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा था कि "मदरसों के लोगों ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को 'गांधीजी' की उपाधि दी थी. जब गांधी जी बंबई आए, तो मदरसों के लोगों ने खिलाफत भवन में उनका स्वागत किया और स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग के लिए जो भी धन उनके पास था, वह दान कर दिया."

समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता अबू आजमी ने कहा कि "मदरसा समुदाय ने हमेशा इस देश से प्यार किया है. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हजारों मदरसा विद्वानों ने देश के लिए शहादत दी थी." अबू आजमी ने इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "ये लोग सिर्फ नफरत की सियासत करते हैं. इसके अलावा इन लोगों को कुछ नहीं आता है."

गौरतलब है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि "बिहार ही नहीं, पूरे देश में मदरसे बंद होने चाहिए. हमें सेना में जाने वाले, वैज्ञानिक,

डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए. हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं." हिमंता बिस्वा सरमा लगातार मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं.

अबू आजमी के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर सियासी घमासान मचा हुआ है. एक ओर जहां प्रियंक कानूनगो ने उन्हें इतिहास पढ़ने की सलाह दी, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थक उनके बचाव में उतर आए हैं. फिलहाल इस बयान ने धार्मिक और सियासी दोनों ही हलकों में नई बहस छेड़ दी है. यह मामला बिहार चुनाव में तूल पकड़ सकता है.

Jagran

खंगाली जाएगी मदरसों की कुंडली, बच्चों में कट्टरपंथी विचारधारा भरने की होगी जांच

https://www.jagran.com/bihar/sitamarhi-madrasa-radicalization-probe-ordered-in-sitamarhi-bihar-40030111.html

By Deepak Kumar Edited By: Rajat Mourya

Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:47 PM (IST)

सीतामढ़ी में मदरसों की जांच का आदेश दिया गया है, जहां नाबालिग मुस्लिम बच्चों में कट्टरपंथी विचारधारा भरने की शिकायतें मिली हैं। शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के सचिव को पत्र लिखकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दायर वाद का हवाला दिया है। आयोग ने राज्य के सभी गैर-मानचित्रित मदरसों का सर्वेक्षण करने और बच्चों का स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

HighLights

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। मदरसा में नाबालिग मुस्लिम बच्चों में कट्टरपंथी विचारधारा भरने की शिकायत को लेकर जांच का आदेश दिया गया है।

इस मामले को लेकर डीपीओ प्रियदर्शी सौरभ ने बैरगनिया, मेजरगंज, सोनबरसा, परिहार, सुरसंड व चोरौत बीईओ को तीन दिनों की अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मदरसों के संबंध में कथित तौर पर नाबालिग बच्चों को दिग्भ्रमित करने संबंधी आरोप लगाया गया है। जिसकी जांच कर प्रतिवेदन राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना है।

वहीं, शिक्षा विभाग के विशेष निदेश सचिंद्र कुमार ने बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली में वाद संख्या दायर किया गया है।

परिवादी द्वारा बिहार-नेपाल सीमा पर विदेशी धन से अवैध रूप से संचालित मदरसों में कथित तौर पर नाबालिग मुस्लिम बच्चों में कट्टरपंथी विचारधारा भरने, गैर मुस्लिमों के विरुद्ध जिहाद को बढ़ावा देने साथ ही जामिया नूरिया मैराजूल उलूम तथा इस्लामिया महमुदिया जैसे मदरसा के प्राप्त वीडियो के आधार पर नाबालिगों को दिग्भ्रमित करने सं‍ंबंधी आरोप लगाया गया है।

मामले में आयोग द्वारा की गई सुनवाई में परिवादी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने, राज्य के सभी गैर मानचित्रित अपंजीकृत मदरसा का सर्वेक्षण करने एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी बच्चों का स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित करने तथा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

कहा है कि तीन कार्य दिवस के अंदर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि वस्तुस्थिति से आयोग को अवगत कराया जा सके।

Sabrang

जेलों के आंकड़े और अदृश्य सच: कैदियों की गिनती से आगे

https://hindi.sabrangindia.in/article/prison-statistics-and-the-invisible-truth-beyond-prison-counts

Written by | Published on: November 5, 2025

एनसीआरबी की 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023' रिपोर्ट जारी हुए दो साल बाद भी, आंकड़े इतिहास से ज़्यादा भविष्यवाणी जैसे लगते हैं।

एनसीआरबी प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, 2023, पहले से ही दबाव झेल रही जेल व्यवस्था का ब्यौरा देती है, जहां 4.25 लाख कैदियों के लिए स्वीकृत व्यवस्था में 5.82 लाख कैदी हैं और कुल कैदियों में से लगभग 78% विचाराधीन कैदी हैं। आंकड़ों में संख्या और आंकड़े जोड़े जाने के अलावा, मूल संख्या और अब के बीच कोई खास बदलाव नहीं आया है।

साल 2025 में, देश अभी भी जमानत सुधार को लेकर राजनीतिक बहस में उलझा हुआ है, जबकि जेलों और कारागारों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिन्हें किसी अपराध का दोषी नहीं पाया गया है। एनसीआरबी ने इसे "ओवरक्राउडिंग" घोषित किया है। हालांकि, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इससे कहीं अधिक व्यापक कुछ देखा, जो असमानता का संस्थागतकरण था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्रता हासिल करने के साधन के रूप में धन संभव है, लेकिन स्वतंत्रता अब एक विलासिता बन गई है।

हालांकि एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट ने आंकड़े तो उपलब्ध कराए, लेकिन उसने इस बात की जड़ तक जाने की कोशिश नहीं की कि इतने अधिक भारतीय बिना मुकदमा चले ही जेलों में क्यों बंद हैं। रिपोर्ट ने यह सवाल भी नहीं उठाया कि आखिर क्यों गरीब और हाशिए पर खड़े लोग हमेशा इन सूचियों के शीर्ष पर रहते हैं - या क्यों, साल दर साल, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर स्वतंत्रता टलती चली जाती है।

अंडरट्रायल नेशन

2023 की एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, मुस्लिम समुदाय देश की कुल जेल आबादी का 16.5% हिस्सा बनाता है - यह अनुपात लगातार ज्यादा बना हुआ है, बावजूद इसके कि इसे पुनर्विचार के लिए बार-बार उठाया गया है। दो साल बीत जाने के बाद भी मुस्लिम कैदियों का प्रतिशत 16.5% ही बना हुआ है, लेकिन इस आंकड़े के इर्द-गिर्द की राजनीति और भी कठोर हो गई है।

धर्म के आधार पर की जाने वाली प्रोफाइलिंग अब केवल आरोपों का विषय नहीं रही, यह अब एक शांत, निंदात्मक रूप से स्वीकार की गई प्रशासनिक प्रक्रिया बन चुकी है। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत की जाने वाली गिरफ्तारियां अब भी असमान रूप से मुस्लिम पुरुषों पर लागू की जाती हैं - विशेष रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। हालांकि 2023 की एनसीआरबी रिपोर्ट यह दावा करती है कि महाराष्ट्र में केवल एक ही यूएपीए मामला दर्ज है - यह दावा जितना अव्यावहारिक और अविश्वसनीय है, उतना ही इसके बावजूद भीमा कोरेगांव से लेकर दिल्ली के सीएए-विरोधी प्रदर्शनों तक यूएपीए के तहत मुकदमे अब भी जारी हैं।

इस अदृश्यता के पीछे के तर्क को जावेद अहमद हजाम बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में उजागर किया गया था। कोल्हापुर के एक कॉलेज प्रोफेसर हजाम ने अगस्त 2022 में दो व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट पोस्ट किए थे, एक में 5 अगस्त को "जम्मू और कश्मीर काला दिवस" और दूसरे में 14 अगस्त के लिए "पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं" लिखा था। इसके चलते उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए (दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

अंततः, सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के आरोप को खारिज कर दिया और इस संदर्भ में यह माना कि ये पोस्ट राजनीतिक असहमति के थे और धारा 153ए को लागू करने के लिए आवश्यक दुर्भावना का अभाव था। अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए, न्यायालय ने "उचित व्यक्ति" मानदंड का प्रयोग किया और कहा कि असहमति आपराधिक नहीं हो सकती और धारा 153ए मनमाने ढंग से आलोचना को दबा नहीं सकती।

फैसले में पूरी जांच के एक इंस्टिच्यूशनल डामेनशन पर भी चिंता व्यक्त की गई है-जिस तरह अस्पष्ट वैधानिक भाषा और अप्रशिक्षित पुलिस व्यवस्था भाषण को हिरासत का रास्ता बना देती है। यह मामला यहां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कारावास की इस तात्कालिकता को दर्शाता है: एक भी एफआईआर, जिसे आमतौर पर 'सांप्रदायिक' बताया जाता है, गिरफ्तारी की संभावना पैदा करती है, फिर हिरासत में ले ली जाती है (जो अनिश्चित काल तक चल सकती है), और फिर एक विचाराधीन कैदी को वार्षिक एनसीआरबी टेबल में उत्पीड़न झेलने के बावजूद न झुकने वाले समूह में एक विशिष्ट प्रविष्टि स्थिति के रूप में दर्ज किया जाता है-लेकिन उस भयावह संदर्भ का रिकॉर्ड नहीं होता जिस पर डेटा प्वाइंट इंट्री निर्भर करती हैं।

जाति, समुदाय और कैद की संरचना

अगर 2023 के आंकड़े सामाजिक असमानता की एक झलक पेश करते हैं तो 2025 हमें बता रहा है कि यह असमानता कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए है। दलित अभी भी भारत के कुल कैदियों में से पांचवें हिस्से से ज्यादा हैं, आदिवासी लगभग आठवें हिस्से के बराबर हैं और मुसलमान लगभग छह में से एक हैं। इन आंकड़ों में जरा भी बदलाव नहीं आया है और न ही आधिकारिक चिंताएं बढ़ी हैं।

एनसीआरबी का यह रूख, कि वो यह नहीं बताना चाहती कि कुछ समुदाय जेलों में जरूरत से ज्यादा क्यों हैं, दरअसल राजनीतिक चुप्पी को अफ़सरशाही की “तटस्थता” के रूप में दिखाने का तरीका है। उनके लिए ये असमानताएं कुछ ऐसी हैं जैसे वे अपने-आप होती हों जबकि असल में ऐसा नहीं है। पुलिस की पहचान-आधारित कार्रवाई से लेकर जमानत देने से इनकार तक, हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था बड़ी सटीकता से भारत की सामाजिक व्यवस्था को दोहराती रहती है। समाजशास्त्री हर्ष मंदर ने कभी भारतीय जेलों को “लोकतंत्र का नैतिक गर्त” कहा था यानी वह अंधेरा पहलू जिसे हम देखना नहीं चाहते। 2025 तक आते-आते यह बात अब रूपक नहीं, बल्कि सच्चाई जैसी लगने लगी है।

अंडरट्रायल कैदी जो ज्यादातर गरीब हैं और जिनकी पहचान जाति से तय होती है, अब भी भारत के सबसे लंबे समय से जेल में बंद कैदी बने हुए हैं।

दीवारों में कैद होने के बावजूद जातिगत मामला कायम है। दलित और आदिवासी कैदी अब भी रोजमर्रा की सफाई, खाना पकाने और स्वच्छता का काम करते हैं, वही जाति-आधारित काम, जो जेल की दीवारों के

बाहर भी उन पर थोपा जाता है। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि आजादी समान रूप से नहीं बंटी है और काम भी नहीं।

सलाखों के पीछे धर्म

धर्म-आधारित प्रोफाइलिंग अब कोई आरोप भर नहीं रही, यह एक खुला राज बन चुकी है। संदेह के आधार पर की जाने वाली तात्कालिक गिरफ्तारियों और बाद में अविश्वसनीय साबित हुई कार्रवाइयों की तरह ही, मुस्लिम पुरुषों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) की रोकथाम संबंधी धाराओं के तहत असमान रूप से निशाना बनाया जाता है खासकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में।

भारत की जेलें अब न्याय का स्थल कम और सामाजिक ऊंच-नीच का केंद्र ज्यादा बन गई हैं। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023 के अनुसार, देश में कुल 5.8 लाख कैदी हैं, जिनमें से 77.9% (लगभग 4.5 लाख) ऐसे हैं जिन्हें अब तक दोषी नहीं ठहराया गया है, यह पिछले एक दशक में सबसे काफी ज्यादा अनुपात है।

भेदभाव सिर्फ जेलों की संख्या में ही नहीं, बल्कि परोल (जमानती रिहाई) और मुकदमों की रफ्तार में भी साफ दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर, बाबा राम रहीम जो हत्या और बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है, उसे अक्टूबर 2020 से अगस्त 2025 के बीच कुल 14 बार परोल दी गई - जिनमें से तीन बार केवल 2025 में ही मिलीं। इसके विपरीत, उमर ख़ालिद, जो एक कार्यकर्ता हैं, पांच साल से बिना मुकदमे के जेल में बंद हैं। उनकी जमानत को बार-बार "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा" बताकर खारिज किया गया है।

धर्म को सिर्फ आंकड़ों में बदल देने की कोशिश में, एनसीआरबी पूर्वाग्रह को तटस्थता का रूप दे देती है। जेलों की स्थिति भी, ठीक उन्हीं आंकड़ों की तरह, एक ऐसे स्थल में बदल जाती है जहां भेदभाव खुली आंखों के सामने मौजूद होता है।

महिलाएं, लैंगिकता और अनुपस्थिति का डेटा

एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएं कुल कैदियों का केवल 4.3% थीं, इतनी छोटी संख्या कि उसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि सबरंग इंडिया और **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC,** 2024) की रिपोर्टें बताती हैं, उनकी यह अनुपस्थिति सांख्यिकीय नहीं, बल्कि संरचनात्मक है यानी यह सिर्फ संख्या का मामला नहीं, बल्कि व्यवस्था में गहरे पैठे भेदभाव का परिणाम है।

अधिकांश महिलाओं की कैद जीविका से जुड़े अपराधों से संबंधित होती है - जैसे चोरी, घरेलू विवाद या तथाकथित नैतिकता के नाम पर दर्ज मामले। बहुत कम महिलाओं को वकील, स्वास्थ्य सेवा या बच्चों की देखभाल (childcare) जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं। 2025 तक पूरे देश में सिर्फ 22 जेलों में ही महिला कैदियों के लिए शिशु देखभाल केंद्र (crèche) की सुविधा उपलब्ध थी।

लैंगिक अल्पसंख्यक व्यवस्था की नज़रों से पूरी तरह ओझल हैं। एनसीआरबी अब भी केवल “पुरुष/महिला” श्रेणियों में गिनती करता है - जिससे ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी कैदी आंकड़ों से बाहर रह जाते हैं। कार्यकर्ता बार-बार यह याद दिलाते हैं कि डेटा का होना नीति होने के बराबर नहीं है - क्योंकि न तो जेलों में ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग बैरक (सेल) हैं, न हॉर्मोन थेरेपी की सुविधा, और न ही यौन या शारीरिक शोषण से सुरक्षा के ठोस प्रावधान।

जेल मैनुअल को अब तक संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप अपडेट नहीं किया गया है। उसकी चुप्पी भले ही प्रशासनिक दिखती हो, लेकिन उसकी कठोरता वास्तविक जीवन में झेली जाती है।

इनकार करने का आंकड़ा

2023 ने यह साफ़ कर दिया कि आंकड़े किस तरह असमानता को सामान्य बना सकते हैं। दो साल बाद, यह और भी मजबूत हो गया है। एनसीआरबी का यह रूख कि वह जेल से जुड़े आंकड़ों को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर, ज़मानत और सजा के चरणों में अलग-अलग नहीं दर्शाता बल्कि व्यवस्था में छिपे पक्षपात को और अस्पष्ट कर देता है। जब केवल वही गिना जाए जो नौकरशाही के खांचे में फिट बैठता है, तो भेदभाव के हर रूप को “तटस्थता” के आवरण में छिपाना आसान हो जाता है।

2017 के बाद लिंचिंग और नफरत भरे अपराधों पर आंकड़े इकट्ठा करना बंद करने का वही सरकारी फैसला जेल के संदर्भ में फिर से दिखाई देता है और राज्य की ओर से चुप्पी का सिलसिला जारी है। राज्य जो आंकड़े इकट्ठा नहीं करता, उसकी रिपोर्टिंग के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

जम्मू-कश्मीर में, जहां अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद सैकड़ों लोगों को जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत एहतियातन हिरासत में लिया गया है, NCRB के भारत में अपराध 2023 – अपने बेहद कम आंकड़ों के साथ – राजद्रोह या सांप्रदायिक हिंसा का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। हालांकि, जमीनी स्तर पर रिपोर्टें और अदालती दस्तावेज कुछ और ही संकेत देते हैं। कश्मीर वाला के संपादक फहद शाह और पत्रकार सज्जाद गुल को उनके लेखों को "राष्ट्र-विरोधी" मानने के कारण, कई जमानत आदेशों के बावजूद, मार्च 2023 में यूएपीए और पीएसए के तहत जेल भेज दिया गया। उसी साल, अनुच्छेद 14 के मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आरटीआई के तहत बताया कि उन्होंने 412 लोगों पर एहतियातन पीएसए लगाया था।

यहां विरोधाभास अपराध बनाम न्याय के पालन का नहीं, बल्कि मापे जाने के नैतिक अनुभव का है: अगर कोई रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो पालन का प्रमाण शपथ से दिया जाता है। जितने कम अपराध होंगे, राज्य उतना ही अधिक दावा कर सकता है कि उसने सफलतापूर्वक "शांति" स्थापित की है। माप न्याय का नहीं, बल्कि अनुपालन का है।

सलाखों के पीछे गणतंत्र

2025 के बाद से देखें तो भारत की जेलें न्याय के लिए अपवाद नहीं, बल्कि उसकी कसौटी लगती हैं। व्यवस्था को लेकर राज्य की व्यस्तता ने कारावास को शासन में बदल दिया है। 77% विचाराधीन कैदियों की दर न्याय प्रशासन से संबंधित नहीं है; यह सत्ता के प्रयोग से संबंधित है।

जैसा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने चेतावनी दी थी, भारत में लोकतंत्र इस बात पर आधारित नहीं है कि हम कागज पर क्या लिखते हैं, बल्कि इस बात पर आधारित है कि राज्य पूरी तरह से शक्तिहीन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है; एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के दो साल बाद भी आंकड़े हम पर आरोप लगाना जारी रखे हुए हैं।

ये एक ऐसे गणतंत्र का उदाहरण हैं जहां धार्मिक आस्था रिमांड तय करती है, जाति जमानत तय करती है और गरीबी सजा तय करती है। अगर आजादी का कोई मतलब है, तो उसका मतलब होगा आंकड़े उजागर करना। जेल सुधार, जमानत समानता और सटीक साक्ष्य-आधारित पारदर्शिता रिपोर्टिंग सिर्फ प्रक्रियागत बारीकियां नहीं हैं; ये संविधान से छूटी हुई अधूरी प्रक्रिया हैं।

जब तक न्याय की अवधारणा जमीन पर नहीं उतरती, तब तक कैद के आंकड़े ही इस देश की सच्चाई लिखते रहेंगे- एक ऐसी सच्चाई, जहां न्याय, बहुतों के लिए, सजा के बाद मिलने वाला इनाम भर है।

(सीजेपी की विधिक अनुसंधान टीम में वकील और इंटर्न हैं।; इस लेख के लिए प्रेक्षा बोथारा द्वारा सहयोग किया गया।)